



गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय

बाँसवाड़ा-327001

registrar@ggtu.ac.in

क्रमांक :- एफ 1 (1) गोगुजवि/2024/ 155

दिनांक : 20 अप्रैल, 2024

कार्यालय आदेश

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के अ.शा. पत्रांक एफ 1-15/2009 (ARC) Pt.III दिनांक 18/04/2024 (प्रति संलग्न) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 08/05/2009 के निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय की धारा 26 की धारा (1) के खंड (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विनियम 2009" अधिसूचित किया है।

अतः यूजीसी द्वारा प्राप्त निर्देशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार में विश्वविद्यालय में निम्नानुसार "एंटी-रैगिंग समिति और एंटी-रैगिंग स्क्वाड समिति" का गठन किया जाता है :-

A "एंटी-रैगिंग समिति"			
क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	मोबाईल नम्बर
1	प्रो0 अलका रस्तोगी	निदेशक (शोध)	9413625870
2	प्रो0 लक्ष्मणलाल परमार	उप कुलसचिव	9680397006
3	डॉ0 अर्पित पाठक	प्रभारी अधिकारी-परीक्षा	9829771946
4	श्री प्रवीण मीणा	प्राचार्य, वि.अ.म. बांसवाड़ा	9680630040
B एंटी-रैगिंग स्क्वाड समिति			
1	डॉ0 नरेन्द्र पानेरी	प्रभारी अधिकारी, सम्बद्धता	9001675959
2	डॉ0 के.बी.एस. राठौड़	प्रभारी अधिकारी, संस्थापना	9983891008
3	श्री प्रवीण मीणा	प्राचार्य, वि.अ.म. बांसवाड़ा	9680630040

सम्बन्धित अधिकारी विभिन्न माध्यमों से पर्याप्त प्रचार के माध्यम से एंटी-रैगिंग तंत्र को मजबूत करने की कार्यवाही करेंगे एवं समय-समय पर एंटी-रैगिंग के संबंध में की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायेंगे।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. नियंत्रक (वित्त), गो.गु.ज.वि. बांसवाड़ा।
2. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
3. उप कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक/निदेशक (शोध)/प्रभारी अधिकारी, सम्बद्धता/प्रभारी अधिकारी, स्थापना/प्रभारी अधिकारी, परीक्षा, गो.गु.ज.वि. बांसवाड़ा।
4. श्री प्रवीण मीणा, प्राचार्य, विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बांसवाड़ा।
5. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, गो.गु.ज.वि. बांसवाड़ा।
6. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. इंचार्ज, गो.गु.ज.वि. बांसवाड़ा को वेबसाइट पर अपलोड करने।
7. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव